

राजस्थान सरकार  
राजस्व विभाग

पत्र क्र:- 98/218/राज-6-05/24

जयपुर, दिनांक:- 20-10-2005

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 § 1956 का राजस्थान अधिनियम सं० 15 § 15 को धारा 89 और 102 के साथ एडिशन धारा 261 को उपधारा § 28 के छुट्टी § 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पर धारा तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा अधिनियम, 1968 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. अधिनियम का नाम और प्रारम्भ- § 18 इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पर धारा, सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा अधिनियम, 1968 के संशोधन अधिनियम, 2005 है।  
§ 28 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-1 में संशोधन- वर्तमान अनुसूची-1 में क्र०सं 14 के पश्चात् एवं क्र०सं 15 से पूर्व नया क्र०सं 14-ए निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:-

" 14-ए में छठी पंक्ति नीचे "

राज्य पाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव  
20/10/05

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/राजस्व मंत्री जी
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राज०।
5. समस्त क्षेत्रीय आयुक्त, राज०।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना राज० राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20-10-05 में प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव  
20/10/05